

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस०पी०एम०य००/RNTCP/01/2014-15/

दिनांक: 16/3/15

विषय : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये
चतुर्थ किस्त की अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदया / महोदय,

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार फांट के अनुसार वित्तीय वर्ष
2014-15 के लिये धनराशि रु0 7799.99 लाख जनपदों को आवंटित की जा चुकी है।

2. उक्त क्रम में कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये महानिदेशक, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार फांट के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये जनपद स्तर की गतिविधियों के संचालन हेतु रु0 3000.00 लाख
की धनराशि जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 13.03.2015 को अवमुक्त की जा
चुकी है।

3. अवमुक्त की जा चुकी धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण
हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश संयुक्त निदेशक (क्षय) / राज्य क्षय रोग कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पृथक से
जनपदों को निर्गत किया जायेगा।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(डा० बी०एस० अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्र सं0: एस०पी०एम०य००/RNTCP/1/2014-15/5962-२५-७ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

Kindly upload on website
Office(M/S)
Ranee
19-03-15

4. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक (क्षय) / राज्य कार्यक्रम अधिकारी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०य००, एन०आर०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०आर०एच०एम० की वेबसाइट - www.upnrrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० बी०एस० अरोड़ा)

वरिष्ठ सलाहकार

Bf
am

03.15